संख्याः 465/X-4-15/1(264)/2015

प्रेषक,

मीनाक्षी जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 01 जुलाई 2015

विषयः जनपद– अल्मोड़ा में मोरनौला जैंती मोटर मार्ग के कि0मी0 21 से चौकुना मोटर मार्ग हेतु 4.004 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई) को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3422/FP/UK/ROAD/11865/2015 दिनांक 26 मई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद **अल्मोड़ा में मोरनौला जैंती मोटर मार्ग के कि0मी0 21 से चौकुना मोटर मार्ग हेतु 4.004 हे0 वन भूमि को** गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग (पी.एम.जी.एस.वाई) को प्रत्यावर्तन की **सैद्धान्तिक** स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ0एन0–11–.09–/98 एफ0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं शासनादेश सं0 एफ0न0–11–09/ 98–एफ0 सी0 दिनांक 07 नवम्बर, 2014 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं–

1. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रतयावर्तित भूमि के बदले 8.008–हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षति पूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित)जमा की जायेगी। उक्त भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नमान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंसोधित) जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 /1995 05.02. 2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।
5. भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0– 25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा की जाएगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं05–3/ 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनाराशि का बैंक ड्राफट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य

जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
10. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(मीनाक्षी जोशी)
अपर सचिव।

संख्याः 465 (1)/X-4-15/1(264)/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0 आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, (पी.एम.जी.एस.वाई.)उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग।
6. अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, अल्मोड़ा।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
उप सचिव।